अपील सूचना अधिकार संख्या 17/2021(GCMS 2021/37) (आरटीआई नं. 212175662707666) श्री अनिल लिम्बा निवासी मकान नं. बी–98, गली नं. 04, वार्ड नं. 05, शक्ति नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर राजस्थान– 335001 <u>बनाम</u> तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

<u>**12.04.2023**</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनिल लिम्बा स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने ऑफलाईन/ऑनलाईन आवेदन पत्र 27.01.2021 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अनिल लिम्बा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक दिनांक 27.01.2021 से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना, लोक सूचना अधिकारी से चाही थी:

1. ग्रामीण निवासीय कॉलोनी में रजिस्ट्री शुदा प्लॉट के नामांतरण (Mutation) करवाने की नियमावली (हिंदी में) उपलब्ध करवाएं।
2. जिला एवं तहसील, श्रीगंगानगर के अंतर्गत ग्राम 3 एचएच में निवासीय कॉलोनी नीलकंठ महादेव डेवलपर्स में स्थित रजिस्ट्रीशुदा प्लॉट के नामांतरण (Mutation) की उचित एवं सरल प्रक्रिया (ऑनलाईन एवं ऑफलाईन) बतायें।
3. विभाग की वेबसाईट जिस[illegible]मीण निवासीय कॉलोनी के रजिस्ट्री शुदा प्लॉट को आन[illegible] देखा जा सकता है एवं रजिस्ट्री की प्रतिलिपि भी डाउनलोड की जा सकती [illegible]की प्रक्रिया सहित वेबसाईट का लिंक उपलब्ध करवाएं।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:50 IST
Reason: SelfAttested

इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/2022/246—248 दिनांक 03.03.2022 से प्रार्थी की अपील पर सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर, प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से टिप्पणी चाही गई थी, जिसके सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ(1—ई)भू.अ./सूचना का अधिकारी/2022/1196 दिनांक 08.03.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है और प्रति अपीलार्थी को भी उपलब्ध करवाई है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई 3 बिन्दुओं की सूचना के क्रम में निवेदन है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का आवेदन पत्र कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा पत्रांक 539—41 दिनांक 21.05.2021 द्वारा कार्यालय हाजा को भिजवाया गया था। जिसके क्रम में आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के कार्यालय हाजा से संबंधित नहीं होने के कारण पत्रांक 3334 एवं 3335—36 दिनांक 01.06.2021 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत आवदेन नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को हस्तान्तरित करते हुए आवेदक को इस बाबत सूचित किया गया।
>
> पुनः नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 698 दिनांक 02.07.2021 द्वारा आवेदन पत्र पर वांछित सूचना के यूआईटी से संबंधित नहीं होने के कारण वापस लौटाने पर आवेदन पत्र को कार्यालय हाजा के पत्रांक 4070—71 एवं 4072—73 दिनांक 12.07.2021 द्वारा तहसीलदार/उपपंजीयक, श्रीगंगानगर को हस्तान्तरित करते हुए आवेदन को इस बाबत सूचित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिसके क्रम में उपपंजीयक, श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 358 दिनांक 20.07.2021 द्वारा बिन्दु संख्या 3 की सूचना आवेदक को उपलब्ध करवाते हुए बिन्दु संख्या 1 व 2 नगर विकास न्यास, श्रीगंगागनर से संबंधित होने का कहा है, जिसके लिए नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को पूर्व में पत्र लिखा जा चुका है। आवेदन के क्रम में तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना कार्यालय में उपस्थित नहीं है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं
प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), श्रीगंगानगर

सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक टीपी/2022/1821 दिनांक 06.04.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हे कि सूचना का अधिकार अधिनियम में अपील संख्या 17/2021 अनिल लिम्बा बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर में श्री अनिल लिम्बा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में बिन्दु संख्या 01 से 03 की सूचना ग्रामीण क्षेत्र में विकसित की जा रही आवासीय योजना नीलकंठ महादेव डवलपर्स, चक 3 एचएच में स्थित है, के नामान्तरण से संबंधित सूचना चाही गई थी। नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मास्टर प्लान में वर्णित क्षेत्र की भूमियों पर ही नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाती है। उक्त क्षेत्र नगरीय अधिसूचित क्षेत्र/मास्टर प्लान वर्ष 2017–2035 में शामिल नहीं होने के कारण नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा अनिल लिम्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

—4— अपील सूचना अधिकार संख्या 17/2021

द्वारा वांछित सूचना/कार्यवाहली की जानी सम्भव नहीं है। उक्त की सूचना न्यास के पत्रांक नियमन/सूचना/2021/698—699 दिनांक 02.07.2021 द्वारा आपके कार्यालय एवं प्रार्थी श्री अनिल लिम्बा को प्रस्तुत कर दी गई थी। सुलभ सन्दर्भ हेतु पूर्व प्रेषित पत्र की छाया प्रति साथ संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
सचिव
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर

इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/246—249 दिनांक 03.03'.2022 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से अपील पर टिप्पणी/रिकॉर्ड चाहा गया था, परन्तु तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपील का कोई जवाब प्रेषित नहीं किया है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप—धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि उपपंजीयक, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 358 दिनांक 20.07.2021 द्वारा बिन्दु संख्या 3 की सूचना आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चकी है। **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा बिन्दु संख्या 1 व 2 के सम्बन में अपील का कोई जवाब प्रेषित नहीं किया है इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि उनके द्वारा** अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और सहायक **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर, प्रभारी अधिकारी(भू.अ.), श्रीगंगानगर, तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:50 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर